3

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 66 / 16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री परमानन्द पुत्र श्री भगवानदास सिन्धी उम्र 51 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स भगवानदास एण्ड सन्स, गोपाल पोल, उम्मेद चौक, जोधपुर पता (नमूलीकरण स्थान) :– फैक्ट्री, पाल गांव, पशु मेले के पास, जोधपुर।

आदेश

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.02.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स भगवानदास एण्ड सन्स, गोपाल पोल, उम्मेद चौक, जोधपुर (पता नमूनीकरण स्थान) :– फैक्ट्री, पाल गावं, पशु मेले के पास, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान आगरे का पेठा (पेठा व चीनी से निर्मित) स्टील की टांस में करीबन 20 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आगरे के पेठा 20 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना संख्या एडी–291 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 90 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा आगरे का पेठा के को एक साफ सुखी एवं खाली परात में डालकर हिला–मिला कर एक रूप कर चार साफ सुखी एवं खाली नयी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर (500ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शीशी के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–291 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर रिलप एडी–291 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–291 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

6. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आगरे का पेठा के 500–500 ग्राम के की चारों नमूना शीशीयों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–291 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 112 / एक्ट / 2015 / 153 दिनांक 16.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1086 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

7. अप्रार्थीगण से नोटिसा तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में कोई जवाब या बहस हेतु उपस्थिती नहीं दी गई। अतः अप्रार्थी को जवाब बन्द किया जाकर एक पक्षीय आदेश पारित किया जाना उचित रहेगा।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में अपना जवाब या बहस पेश प्रस्तुत की अतः मैं फूड ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी पर रूपये 7000 अक्षरे रूपये सात हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10/7/17 ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
दिनांक :–

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1550-1552 दि. 10-7-17

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. स्वास्थ्य सेवायें जोधपुर जोन।
03. श्री परमानन्द पुत्र श्री भगवानदास सिन्धी उम्र 51 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स भगवानदास एण्ड सन्स, गोपाल पोल, उम्मेद चौक, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर